न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 577 सन 2018

अनवान :–

1. सांवरमल पुत्र सुगनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र लाधुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. तनसुखराम 3 गुडडी 4 लिछमा पि0 सुगनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
5. मैनेजर औ.बी.सी.बैक शाखा नोहर तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 523/423 के खसरा न0 343/6.8420हैक्अ, 353/7.0190हैक , खसरा न0 891 की 1.850हैक , खसरा न0 1098 की 5.4760हैक , कुल 21.3220हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 20 बीधा , रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 611/248 के खसरा न0 1174 की 11.8370हैक , खसरा न0 334 की 2.2130हैक खसरा न0 339/1 की 1.7320हैक, खसरा न0 351 की 1.2770हैक खसरा न0 357 की 6.8160हैक खसरा न0 358 की 1.3400हैक खसरा न0 368 की 0.6320हैक कुल 7 खसरों की 25.8470हैक जिसमें 106 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 638 की 7.0120हैक खसरा न0 639 की 4. 8070हैक खसरा न0 646 की 2.4290हैक खसरा न0 647 की 3.6810हैक कुल 17.9380हैक भूमि के खातेदार काश्तकार हे जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 4.4845हैक भूमि है इसीप्रकार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 523/423 में 20.00 बीधा यानी 5.060हैक व रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 611/248 की 106 हिस्सा यानि 5 बीधा 6 बिश्वा व रोही मौजा खूइया के खाता संख्या 349/299 की भूमि 2.98966हैक जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

उपरोक्त भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज है एवं वादी के दादा लाधूराम की अर्जित भूमि है तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सयुक्त खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम केवल कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1

के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 523/423 की कुल 4 खसरों की कुल 21.3220हैक भूमि में 20 बीधा यानि 5.060हैक व रोही मोजा मन्दरपुरा में खाता संख्या 611/248 के कुल 7 खसरों की 25.8470हैक भूमि में से 106 हिस्सा यानी 1.3409हैक व रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 349/299 के कुल 4 खसरा की 17.9380हैक में से 2.98966हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.1.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)